(17)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक सन् 2012 निगरानी

1. सियाराम तनय छब्बी पटेल
2. हरिराम तनय छब्बी पटेल

निवासीगण – वार्ड नं0 14 खजुराहो ,

तहसील – राजनगर,जिला – छतरपुर म0 प्र0 ..... निगरानीकर्तागण

R 4362-II/12

बनाम

1. हरचरन तनय लक्ष्मन कुर्मी
2. जानकी तनय लक्ष्मन कुर्मी
3. दुर्गाबाई वेवा कमोदी पटेल

निवासीगण – वार्ड नं0 14 खजुराहो ,

तहसील – राजनगर, जिला – छतरपुर म0 प्र0 ..... गैरनिगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 22/12/12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्र0 07/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2012 से परिवेदित होकर निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते है :–

–: निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0 प्र0 स्थित भूमि खसरा नं0 543/4/1 , 544/1/2, 565/1, 566, 571/2, 572/1 किता 06 कुल रकवा 5.063 हे0 का खाता गैरनिगरानीकर्ता क्र0 01 एवं 02 के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा निगरानीकर्तागण का भूमि खसरा नं0 563/2 रकवा 4.218 हे0 का खाता निगरानीकर्तागण के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । गैरनिगरानीकर्ता क्र0 01 व 02 ने अपनी उक्त भूमि का सीमांकन बिना निगरानीकर्ता को सूचना दिये प्रकरण क्र0 08/अ–12/2010–11 आदेश दिनांक 13.01.2011 को गोपनीय तरीके से

क्रमशः //2//

नि.अ.
सियाराम पटेल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4362-दो/2012 जिला छतरपुर सियाराम विरूद्ध हरचरन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 07-12-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4362-दो/2012 जिला छतरपुर सियाराम विरूद्ध हरचरन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 07-12-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन)
सदस्य